



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2016—आषाढ 21, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. एफ-बी-1-19-2016-2-पांच (18).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-12-92-वा.कर-पांच, दिनांक 31 मार्च 1992 को अतिथित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि आबकारी शुल्क योग्य वस्तु “अफीम” का उपयोग/उपभोग/विक्रय, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दरों पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उद्घोषित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	आबकारी शुल्क योग्य वस्तु (2)	शुल्क की दर (3)
1	अफीम	रुपए 2000/- प्रति किलोग्राम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्र. बी-1-19-2016-2-पांच (18).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. बी-1-19-2016-2-पांच (18), दिनांक 12 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2016

No. F. B-1-19-2016-2-V(18).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (II of 1915) and in supersession of this Department's Notification No. B-12-92-CT-V, dated the 31st March 1992 the State Government, hereby directs that on use/consumption/sale of the excisable articles "Opium" shall be levied at the rates specified in column (3) of the table below with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely :—

TABLE

S.No.	Excisable article	Rate of Duty
(1)	(2)	(3)
1	Opium	Rs. 2000/- per Kilogram

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.